

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-01, दिनांक-

सं०सं०-1/प्रशि०निजी-21/2025...../श्री अमृतोष कुमार, तत्कालीन प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पुपरी, सीतामढ़ी सम्प्रति प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मढ़ौरा, सारण को बिहार सेवा संहिता के नियम 227 एवं 230 में निहित प्रावधान के तहत दिनांक 14.05.2025 से 30.05.2025 तक कुल 17 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी जाती है।

2. इसके उपरान्त इनके अवकाश लेखा में दिनांक 31.05.2025 तक कुल 283 दिनों का उपार्जित अवकाश आदेय रहेगा

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

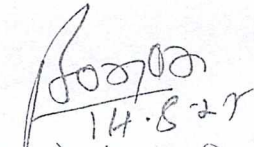
(राजीव रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव

झापांक-1/ प्रशि० स्था०-21/2025.....⁴⁹...../पटना-01, दिनांक-^{15/5/25}

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी०डी० सहित बिहार गजट में प्रकाशनार्थ)/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना/ श्री अमृतोष कुमार, तत्कालीन प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पुपरी, सीतामढ़ी सम्प्रति प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मढ़ौरा, सारण/ आई०टी० प्रबंधक (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना से अनुरोध है कि IIRMS के अन्तर्गत Leave Management Module पोर्टल पर शेष आदेय अवकाश की प्रविष्टि कर ली जाय।


14.5.25
सरकार के संयुक्त सचिव